न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 74/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

कोगटा फाइनेंसियल (इण्डिया) लिमिटेड जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्याम सुन्दर दाधीच

रजिस्टर्ड कार्यालयः– कोगटा हाउस, आजाद मौहल्ला, बिजय नगर, जिला–अजमेर, राजस्थान

कॉरपोरेट कार्यालयः– एस 1, गोपालबाड़ी, अजमेर पुलिया केपास, मेट्रो पिल्लर नंबर– 143 के सामने, जयपुर

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

1. **मोहम्मद अबरार अली पुत्र शौकत अली,** निवासी–मकान संख्या 19, आठवास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान
2. **अयुब अली पुत्र अल्लादीन अली,** निवासी–362, भगासरा रास्ता, सिक्का मौहल्ला, चूड़ीमियां, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान
3. **बल्केश बानो पत्नि अयुब अली,** निवासी–362, भगासरा रास्ता, सिक्का मौहल्ला, चूड़ीमियां, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान
4. **जाकीर हुसैन पुत्र शौकत अली,** निवासी–मकान संख्या 19, आठवास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान
5. **शाहीदा बानो पत्नि मोहम्मद अबरार, निवासी–** आठवास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान
6. **फिरदोस बानो पत्नि मोहम्मद हुसैन,** निवासी– भगासरा रास्ता, सिक्का मौहल्ला, चूड़ीमियां, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान
7. **जावेद अख्तर पुत्र अयुब अली,** निवासी–चूड़ीमियां, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 12 मई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मनोज कुमार वर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है

कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 क्रमशः **मोहम्मद अबरार अली पुत्र शौकत अली, अयुब अली पुत्र अल्लादीन अली, बल्केश बानो पत्नि अयुब अली, जाकीर हुसैन पुत्र शौकत अली, शाहीदा बानो पत्नि मोहम्मद अबरार, फिरदोस बानो पत्नि मोहम्मद हुसैन** एवं **जावेद अख्तर पुत्र अयुब अली** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **अयुब अली पुत्र अल्लादीन अली** के स्वामित्व की अचल सम्पति **पट्टा संख्या 42, संकल्प संख्या 03, दिनांकित 05.11.2019, ग्राम चूडीमियॉ, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 151.66 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में खाली जगह याकूब खान, पश्चिम दिशा में आम सडक, उत्तर दिशा में मकान तौफिक सिक्का एवं दक्षिण दिशा में मकान इलियास अली स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 10,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये दस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **20.12.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी/अप्रार्थीगणों की ओर वकील श्री भगवान सिंह धायल उपस्थित आये परन्तु बकाया ऋण भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **20.12.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 क्रमशः **मोहम्मद अबरार अली पुत्र शौकत अली, अयुब अली पुत्र अल्लादीन अली, बल्केश बानो पत्नि अयुब अली, जाकीर हुसैन पुत्र शौकत अली, शाहीदा बानो पत्नि मोहम्मद अबरार, फिरदोस बानो पत्नि मोहम्मद हुसैन** एवं **जावेद अख्तर पुत्र अयुब अली** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **अयुब अली पुत्र अल्लादीन अली** के स्वामित्व की अचल सम्पति **पट्टा संख्या 42, संकल्प संख्या 03, दिनांकित 05.11.2019, ग्राम चूडीमियॉं, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 151.66 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में खाली जगह याकूब खान, पश्चिम दिशा में आम सडक, उत्तर दिशा में मकान तौफिक सिक्का एवं दक्षिण दिशा में मकान इलियास अली स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **12 मई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर